विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिक

1135. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं जो निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ;

(ग) विश्व के उन देशों के नाम क्या हैं जहां बालश्रमिकों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) बाल श्रमिकों के संबंध में सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) (क) और (ख) बाल श्रमिकों के उद्योगवार-नियोजन का पता लगाने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ऐसे दो देश हैं जहां बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया था, जो व्यपगत हो गया है ।

(घ) कार्यस्थल पर बालकों को शोषण से बचाने और उनकी कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न कानूनों में सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय जोखिमकारी व्यवसायों और संक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है और अन्य क्षेत्रों में उनके नियोजन को विनियमित करता है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो मुख्यत: इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50% की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों और बाल श्रमिकों की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना पर बल दिया गया है ।

कार्योन्मुख परियोजनाएं चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है । इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से कामकाजी बालकों के लाभ के लिए सी एल ए एस पी (बाल श्रम कार्रवाई और सहायता कार्यक्रम) और आई पी ई सी अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उत्पादन कार्यक्रम) नामक दो परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं ।

Streamlining of Emigration Procedure

1136. **SHRI S. MADHAVAN :** Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to streamline emigration procedures to make it easier for people going abroad for jobs;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether he has, recently, discussed with Indians abroad about the problems in the export of manpower and if so, what are the steps being taken to promote the export of man power; and

(d) what are the steps taken to minimise the regulatory role of the protector of emigrants ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The emigration procedure is periodically reviewed with a view to simplify it. The Minister of State for Labour and Coal during his visit to Bahrain in the month of September 1992, also utilised

the opportunity to discuss the emigration procedure with some of the Indians at Dubai and Bahrain. The suggestions received are being considered.

(d) Six additional categories of workers viz., supervisors (all professions), skilled workers (all professions); light/Medium/ heavy vehicle drivers, clerical workers of all categories including stenographers, storekeepers, timekeepers, typists etc., and cooks excluding those domestic employment have been placed in ECNR (Emigration Clearance Not Required) category w.e.f. 4 October, 91. This concession is presently valid upto 3 April, 1993. With this enlargement of ECNR categories, the regulatory role of the Protectors of Emigrants has been considerably reduced.

उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों के रूप में आदिवासी

1137. श्री शांति त्यागी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में रहने वाले कोल आदिवासियों को आज भी बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन मजदूरों को मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) :

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गयी है, प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Status of Tea Workers

1138. DR. ABRAR AHMED :
SHRI JAGIR SINGH DARD :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Tea Workers are the lowest paid in the organised sector;

(b) whether any study has been conducted in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) No, Sir. The average daily earnings of workers in coffee plantations (Rs. 11.58) and Mines (Rs. 15.68) are lower than those of workers in Tea Plantaions (Rs. 15.86).

(b) and (c) Yes, Sir. The 4th Round of Occupational Wage Survey was conducted during 1985-90 in 53 industries comprising 3 plantations, 5 mines and 45 manufacturing industries. Average daily earnings of workers in the plantaion sector ranged from Rs. 11.58 in cofee to Rs. 21.00 in Rubber, in the mining sector from Rs. 15.68 in Mica to Rs. 67.38 in Coal and in the manufacturing sector from Rs. 24.09 in Tea processing factories to Rs. 88.71 in manufacture of Electrical industrial Machinery, Appliances and Parts.

New Wage Board for Journalists

1139. SHRI SUNIL BASU RAY :
SHRI SHANTI TYAGI :
SHRI DEBABRATA BISWAS :
SHRI VITHALBHAI M. PATEL :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government are aware that journalists and non-journalist employees of newspapers and news agencies, recently, observed protest day throughout the country demanding a new wage board;

(b) whether the reprsentatives of union of journalists had discussed the issue with him;

(c) whether Government have received vrious representation from the newspaper industry and journalists on this issue;

(d) if so, the name of the organisations and views expressed by them;

(e) whether Government have taken a decision in this regard; and

(f) if not, the reasons therefor ?